अनुबंध 2.1
तुलनपत्र मदों के ब्यौरे और लेखा-टिप्पणी

क. तुलनपत्र

मद	अनुसूची	व्याप्ति	टिप्पणियाँ और संकलन के लिए अनुदेश
पूँजी	1.	राष्ट्रीयकृत बैंक पूँजी (केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व में) अन्य बैंक (भारतीय) प्राधिकृत पूँजी (रु..... प्रत्येक के .... शेयर) निर्गमित पूँजी (रु..... प्रत्येक के .... शेयर) अभिदत्त पूँजी (रु..... प्रत्येक के .... शेयर) मांगी गयी पूँजी (रु..... प्रत्येक के .... शेयर) घटायें : अदत्त मांग जोड़ें : जब्त शेयर चुकता पूँजी बैंकिंग कंपनियाँ भारत से बाहर निगमित	तुलनपत्र की तिथि को केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली पूँजी को दर्शाया जाना चाहिए । अन्य भारतीय बैंकों के मामले में, प्राधिकृत, निगर्मित, अभिदत्त, मांगी गयी पूँजी अलग से दिखायी जानी चाहिए । शेयर मांग की बकाया राशि मांगी गयी पूँजी में से घटा दी जायेगी, जब्त शेयरों का चुकता मूल्य जोड़ा जायेगा और इस प्रकार चुकता पूँजी निकाली जायेगी । जहाँ आवश्यक हो, वहाँ जिन मदों को जोड़ा जा सकता है, उन्हें एक शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए 'निर्गमित और अभिदत्त पूँजी' । भारत से बाहर निगमित बैंकिंग कंपनियों के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उप धारा 2 के अंतर्गत रखी गयी जमा की राशि को 'पूँजी' शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए; तथापि, उस राशि को बाहरी कॉलम में नहीं बढ़ाया जाना चाहिए । टिप्पणियाँ - सामान्य - उक्त मदों में वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों को, यदि हों, जैसे, सरकार द्वारा किया गया नया अंशदान, पूँजी का नया निर्गम, आरक्षित निधियों का पूँजीकरण,, आदि को टिप्पणी में स्पष्ट किया जाना चाहिए ।
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	I) सांविधिक आरक्षित निधियाँ II) पूँजीगत आरक्षित निधियाँ III) शेयर प्रीमियम IV) राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ क) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि V) लाभ-शेष	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 या किसी अन्य धारा के अनुसार सृजित आरक्षित निधि को अलग से प्रकट किया जाना चाहिए। 'पूँजीगत आरक्षित निधि' अभिव्यक्ति में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं की जायेगी, जिसे लाभ-हानि लेखा के माध्यम से मुक्त संवितरण के रूप में माना जाता हो । पुनर्मूल्यन के अधिशेष या अचल आस्तियों की बिक्री को पूँजी आरक्षित निधि के रूप में माना जाना चाहिए । शेयर पूँजी के निर्गम के संबंध में प्रीमियम इस शीर्ष के अंतर्गत अलग दिखाया जा सकता हैं । 'राजस्व आरक्षित निधि' अभिव्यक्ति का अर्थ होगा पूँजीगत आरक्षित निधि से भिन्न कोई भी आरक्षित निधि । इस मद में अलग से वर्गीकृत आरक्षित निधियों को छोड़कर सभी आरक्षित निधियाँ शामिल होंगी । 'आरक्षित निधि' अभिव्यक्ति में ऐसी किसी राशि को शामिल नहीं किया जायेगा, जिसे बट्टेखाते लिखा गया है या मूल्यह्रास के लिए प्रावधान के रूप में रखा गया है, नवीकरण या आस्तियों के मूल्य में ह्रास के लिए रखा गया है या किसी ज्ञात देयता के लिए प्रावधान के रूप में रखा गया है । इसमें विनियोजन के पश्चात् लाभ-शेष शामिल है । हानि होने की स्थिति में शेष को कटौती के रूप में दिखाया जा सकता है

अनुबंध 2.1
तुलनपत्र मदों के ब्यौरे और लेखा-टिप्पणी *(चालू)*

क. तुलनपत्र

मद	अनुसूची	व्याप्ति	टिप्पणियाँ और संकलन के लिए अनुदेश
बताये			टिप्पणियाँ-सामान्य i) आरक्षित निधियों की विविध कोटियों में उतार चढ़ाव अनुसूची में गये अनुसार दर्शाया जाना चाहिए ।
जमाराशियाँ	3.	ए.I. मांग जमा i) बैंकों से ii)अन्य से	इनमें सभी बैंकों की जमाराशियाँ शामिल हैं, जो मांग पर प्रतिदेय हों । इसमें गैर-बैंक क्षेत्र की सभी मांग जमा शामिल हैं । ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट खातों में जमा शेष , मांग पर देय जमाराशि, अतिदेय जमाराशि, निष्क्रिय चालू खाते, परिपक्व मीयादी जमा और नकदी प्रमाणपत्र, आदि को इस कोटि के अंतर्गत शामिल किया जाना है ।
		II. बचत बैंक जमाराशियाँ III. मीयादी जमाराशियाँ i) बैंकों से ii)अन्य से बी. i) भारत की शाखाओं में जमाराशियाँ ii)भारत के बाहर शाखाओं में जमाराशियाँ	इसमें सभी प्रकार की बचत बैंक जमा शामिल है (निष्क्रिय बचत बैंक खातों सहित) इसमें सभी प्रकार की बैंक जमाराशियां शामिल हैं जो किसी विनिर्दिष्ट अवधि के बाद प्रतिदेय हों गैर-बैंक क्षेत्र की वैसी सभी जमाराशि को शामिल करता है, जो एक विनिर्दिष्ट अवधि के बाद प्रतिदेय हों । सावधि जमा, संचयी और आवर्ती जमा, नकदी प्रमाणपत्र, वार्षिकी जमा, विविध योजनाओं के अंतर्गत जुटायी गयी जमाराशि, साधारण स्टाफ जमाराशि, विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा खाता, आदि को इस कोटि में शामिल किया जाना है । इन दो मदों का कुल जोड़ कुल जमाराशियों से मेल खायेगा। टिप्पणियाँ - सामान्य क) जमाराशियों पर देय ब्याज (चाहे उपचित और देय हो या उपचित लेकिन देय नहीं हो) को शामिल नहीं किया जाना चाहिए लेकिन अन्य देयताओं के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए । ऐसी जमाराशियाँ, जिनकी अदायगी उनके स्वरूप के कारण प्रतिबंधों के अधीन होती हैं, जैसे मार्जिन जमा, स्टाफ से सुरक्षित जमा, आदि, को भी जमा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि 'अन्य देयताओं' के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए । ख)परिपक्व मीयादी जमा और नकदी प्रमाणपत्र, आदि को मांग जमा के रूप में माना जाना चाहिए । ग) विशेष स्कीम के अंतर्गत जमा को मीयादी जमा के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए, यदि वे मांग पर प्रतिदेय नहीं हों। जब ऐसे जमा भुगतान के लिए परिपक्व हो जायें, तब उन्हें मांग जमा के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए । घ) बैंकों की जमाराशियों में शामिल होंगी - भारत में बैंकिंग प्रणाली, सहकारी बैंकों, विदेशी बैंकों से, जिनकी भारत में कोई शाखा हो या नहीं हो, प्राप्त जमाराशियाँ ।

अनुबंध 2.1
तुलनपत्र मदों के ब्यौरे और लेखा-टिप्पणी *(चालू)*

क. तुलनपत्र

मद	अनुसूची	व्याप्ति	टिप्पणियाँ और संकलन के लिए अनुदेश
उधार	4.	I. भारत में उधार i) भारतीय रिज़र्व बैंक	इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त उधार/पुनर्वित्त और पुनर्भुनाई शामिल है । इसमें वाणिज्यिक बैंकों से (सहकारी बैंकों सहित) प्राप्त उधार पुनर्वित्त और पुनर्भुनाई शामिल है ।
		ii)अन्य बैंक	इसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और अन्य संस्थाओं, एजेंसियों से प्राप्त उधार/पुनर्वित्त और पुनर्भुनाई शामिल है (जिसमें सहभागिता प्रमाणपत्र पर देयता, यदि हो, शामिल है) ।
		II. भारत के बाहर उधार ऊपर शामिल जमानती उधार	इसमे विदेश में भारतीय शाखाओं का उधार और पुनर्भुनाई और विदेशी शाखाओं का उधार शामिल है । यह मद अलग से दिखायी जायेगी । इसमें भारत में और भारत के बाहर जमानती उधार/पुनर्वित्त शामिल हैं । टिप्पणियाँ -सामान्य i) I और II का जोड़ तुलनपत्र में दिखाये गये कुल उधार से मेल खायेगा। ii) अंतर-कार्यालय लेनदेनों को उधार के रूप में नहीं दिखाया जाना चाहिए। iii) विदेशी शाखाओं द्वारा जमा प्रमाणपत्रों, नोटों, बांडों, आदि के जरिए जुटायी गयी निधियों को वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जो 'जमाराशियों', 'उधार', आदि के रूप में उनके प्रलेखन पर निर्भर करता हो। iv) बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक और विविध संस्थाओं से प्राप्त पुनर्वित्त को 'उधार' शीर्ष के अंतर्गत लाया जा रहा है।अतः अग्रिमों को आस्ति पक्ष में सकल राशि पर दर्शाया जायेगा ।
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	I. देय बिल	इसमें ड्राफ्ट, तार अंतरण, डाक अंतरण देय, वेतन पर्ची, बैंकर्स चेक, अन्य विविध मदें, आदि शामिल हैं ।
		II. अंतर-कार्यालय	अंतर-कार्यालय समायोजन शेष, यदि जमा में हो, इस शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए । यहाँ अंतर-कार्यालय खातों, देशी और विदेशी, की केवल निवल स्थिति को दर्शाया जाना चाहिए ।
		III. उपचित ब्याज	इसमें जमाराशियों और उधारों पर देय और भुगतान योग्य ब्याज और उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज शामिल हैं ।
		IV. आस्थगित कर	इसमें आयकर और अन्य करों, जैसे ब्याज कर के लिए निवल प्रावधान शामिल है (अग्रिम भुगतान, स्रोत पर कर की कटौती, आदि को घटाकर)।
		V. अन्य	अशोध्य ऋण प्रावधान खाता में अधिशेष प्रावधान, प्रतिभूतियों में मूल्यह्रास के लिए अधिशेष प्रावधान, आकस्मिकता निधि, जिसे आरक्षित निधि के

अनुबंध 2.1
तुलनपत्र मदों के ब्यौरे और लेखा-टिप्पणी *(चालू)*

क. तुलनपत्र

मद	अनुसूची	व्याप्ति	टिप्पणियाँ और संकलन के लिए अनुदेश
			रूप में प्रकट नहीं किया जाता है, लेकिन जो वास्तव में आरक्षित निधि के स्वरूप की होती है, सरकार को प्रस्तावित लाभांश/अंतरण, अन्य देयताएँ, जिन्हें किसी भी बड़े शीर्ष, यथा, दावा नहीं किया गया लाभांश, के अंतर्गत प्रकट नहीं किया जाता है, विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए रखे गये प्रावधान और निधियाँ, असमाप्त बट्टा, बकाया प्रभार यथा किराया, वाहन भत्ता, आदि, कतिपय प्रकार की जमाराशियाँ यथा स्टाफ प्रतिभूति जमा, मार्जिन जमा आदि, जहाँ अदायगी मुक्त नहीं हो, को भी इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए । टिप्पणियाँ - सामान्य i) अंतर-कार्यालय समायोजनों का निवल शेष प्राप्त करने के लिए सभी संबद्ध अंतर-कार्यालय खातों को समुच्चयित किया जाना चाहिए और केवल निवल शेष को दिखाया जायेगा, जो अधिकांश मार्गस्थ मदों और असमायोजित मदों का द्योतक होगा । ii) सभी जमाराशियों पर उपचित होनेवाला ब्याज, चाहे भुगतान देय हो या नहीं देय हो, देयता के रूप में माना चाहिए , iii) यह प्रस्ताव है कि केवल शुद्ध जमाराशियों को 'जमाराशियाँ' शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाये और इसीलिए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आकस्मिकता निधियों, गुप्त आरक्षित निधियों, जिन्हें संबंधित आस्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाता, के लिए सभी अधिशेष प्रावधान को 'अन्य' (प्रावधान सहित) शीर्ष के अंतर्गत लाया जाना चाहिए ।
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और जमाशेष	6	I. पास में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में	इसमें विदेशी मुद्रा नोटों और विदेशी शाखाओं के भी नोटों सहित, जो उन बैंकों के मामले में जिनकी ऐसी शाखाएँ हों, की नकदी शामिल है । इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में रखा हुआ जमाशेष शामिल है ।
बैंकों के पास जमाशेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय मुद्रा	7	I) भारत में i) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष (चालू खाते में जमाशेष से भिन्न) ii) भारत में अन्य बैंकों के पास जमाशेष चालू खाते जमा खाते	इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में रखे जमाशेष, यदि हों, से भिन्न जमाशेष शामिल हैं । इसमें भारत में बैंकों (सहकारी बैंकों सहित) के पास सभी जमाशेष शामिल हैं । चालू खाते और जमा खाते में जमाशेष को अलग दर्शाया जाना चाहिए ।

अनुबंध 2.1
तुलनपत्र मदों के ब्यौरे और लेखा-टिप्पणी *(चालू)*

क. तुलनपत्र

मद	अनुसूची	व्याप्ति	टिप्पणियाँ और संकलन के लिए अनुदेश
		iii) बैंकों और अन्य संस्थाओं के पास मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय मुद्रा	इसमें अंतर-बैंक मांग मुद्रा बाजार में उधार दी गयी राशि , जो 15 दिनों या 15 दिनों से कम की सूचना पर प्रतिदेय हो, शामिल है ।
		II) भारत के बाहर i) चालू खाते ii) जमा खाते	इसमें विदेशी शाखाओं के पास धारित जमाशेष और भारत के बाहर के बैंकों की भारतीय शाखाओं के पास धारित जमाशेष शामिल है । बैंक की अन्य शाखाओं द्वारा विदेशी शाखाओं में रखा गया जमाशेष इस शीर्ष में नहीं दिखाया जाना चाहिए, लेकिन अंतर-शाखा खाते में शामिल किया जाना चाहिए। 'चालू खाते' में और 'जमा खाते' में धारित राशि को अलग दिखाया जाना चाहिए। इसमें ऐसी जमाराशियाँ शामिल हैं, जिन्हें विदेशों में सामान्यतः मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय मुद्रा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
निवेश	8	I. भारत में निवेश i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की प्रभूतियाँ और सरकारी खजाना बिल शामिल हैं। सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूतियाँ, जिन्हें परिनियम के अनुसार अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में माना जाता है, यहाँ शामिल की जानी चाहिए।
		iii) शेयर	कंपनियों और निगमों के शेयरों में निवेश, जिन्हें मद (ii) में शामिल नहीं किया गया, यहाँ शामिल किये जाने चाहिए।
		iv) डिबेंचर और बांड	कंपनियों और निगमों के डिबेंचरों और बांडों में निवेशों को, जिन्हें मद (ii) में शामिल नहीं किया गया, यहाँ शामिल किया जाना चाहिए ।
		v) अनुषंगी/सहयोगी कंपनियों में निवेश	अनुषंगी/सहयोगी कंपनियों में निवेशों को यहाँ शामिल किया जाना चाहिए। इस वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ किसी कंपनी को सहयोगी कंपनी के रूप में माना जायेगा, यदि उस कंपनी की 25% से अधिक शेयर पूँजी बैंक द्वारा धारित हो । इसमें अवशिष्ट निवेश, यदि हो, जैसे स्वर्ण, शामिल है ।
		vi) अन्य	
		II. भारत के बाहर निवेश i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) ii) अन्य	सभी विदेशी प्रतिभूतियाँ, जिनमें स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं इस शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत की जा सकती हैं । भारत से बाहर अन्य सभी निवेशों को इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जा सकता है।
अग्रिम	9	ए. i) खरीदे और भुनाये गये बिल ii) कैश क्रेडिट, जायेंगे। ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	खंड 'क' के अंतर्गत वर्गीकरण में, भारत और बाहर सभी बकायों, जिनके लिए कम प्रावधान किए गए, को तीन शीर्षों के अंतर्गत इंगित के अनुसार किया गया है और प्रतिभूत और अप्रतिभूत, दोनों ही प्रकार के अग्रिम इन शीर्षों में शामिल किये जायेंगे।

अनुबंध 2.1
तुलनपत्र मदों के ब्यौरे और लेखा-टिप्पणी *(चालू)*

क. तुलनपत्र

मद	अनुसूची	व्याप्ति	टिप्पणियाँ और संकलन के लिए अनुदेश
		iii) मीयादी ऋण बी. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत ii) बैंक/सरकार की गारंटी से रक्षित iii) अप्रतिभूत	सभी अग्रिम या अग्रिमों के भाग, जो मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत हों, यहाँ दर्शाये जाने चाहिए । इस मद में भारत में और भारत के बाहर अग्रिम शामिल होंगे । भारत में और भारत के बाहर अग्रिम जिस हद तक भारतीय या विदेशी सरकार तथा भारतीय एवं विदेशी बैंकों की गारंटी से रक्षित हों, उन्हें शामिल किया जाना है ।
		सी.I. भारत में अग्रिम i) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ii) सार्वजनिक क्षेत्र iii) बैंक iv) अन्य II. भारत के बाहर अग्रिम i) बैंकों से प्राप्य ii) अन्य से प्राप्त	वे सभी अग्रिम, जो (i) और (ii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किये गये हैं, यहाँ शामिल किये जायेंगे। अग्रिमों को मोटे तौर पर 'भारत में अग्रिम' और 'भारत के बाहर अग्रिम, में वर्गीकृत किया जाना चाहिए । भारत में अग्रिम को पुनः क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकृत किया जायेगा, जैसाकि इंगित किया गया है । उन क्षेत्रों को अग्रिम, जिन्हें फिलहाल रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, को 'प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना है । केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य सरकारी उपक्रमों को, जिनमें वे सरकारी कंपनियाँ और निगम शामिल हैं, जिन्हें परिनियम के अनुसार 'सार्वजनिक क्षेत्र' के रूप में माना जाना है, अग्रिम । सहकारी बैंकों सहित बैंकिंग क्षेत्र को सभी अग्रिम 'बैंक' शीर्ष के अंतर्गत आयेंगे । सभी शेष अग्रिम इस शीर्ष 'अन्य' के अंतर्गत शामिल किये जायेंगे और विशेष रूप से इस कोटि में निजी, संयुक्त और सहकारी क्षेत्रों को गैर प्राथमिकताप्राप्त अग्रिम शामिल किये जायेंगे। टिप्पणियाँ - सामान्य i) अग्रिमों की सकल राशि, जिसमें पुनर्वित्त शामिल है, अग्रिमों के रूप में दिखायी जानी चाहिए, लेकिन प्रावधान शामिल नही हैं, जो लेखापरीक्षकों के समाधानप्रद रूप में दिए गए हैं। ii) मीयादी ऋण वैसे ऋण होंगे, जो मांग पर प्रतिदेय नहीं होंगे । iii) सहायतासंघ अग्रिमों को अन्य सहभागी बैंकों/संस्थाओं से वसूली घटाकर दर्शाया जायेगा ।
अचल आस्तियाँ	10	I. परिसर	बैंकिंग कंपनी द्वारा रिहाइशी परिसरों सहित कारोबार के प्रयोजनार्थ पूर्णतः या अंशतः स्वाधिकृत परिसरों को 'परिसर' के सामने दर्शाया जायेगा परिसरों और अन्य अचल आस्तियों के मामले में पिछला शेष, उसमें वर्ष के दौरान जोड़ या घटाव और बट्टाखाता लिखा गया कुल मूल्यह्रास दर्शाया जाना चाहिए । जहाँ रकमें पूँजी में घटौती या आस्तियों के पुनर्मूल्यन के चलते बट्टेखाते लिखी गयी हों, वहाँ पहले तुलनपत्र के बाद वाले प्रत्येक तुलनपत्र में घटौती या पुनर्मूल्यन को दर्शाया जाना चाहिए और उसमें तिथि सहित संशोधनों को संशोधित राशि के साथ दिखाया जाना चाहिए।

अनुबंध 2.1
तुलनपत्र मदों के ब्यौरे और लेखा-टिप्पणी *(चालू)*

क. तुलनपत्र

मद	अनुसूची	व्याप्ति	टिप्पणियाँ और संकलन के लिए अनुदेश
		II. अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)	मोटर वाहन और परिसरों से भिन्न लेकिन फर्नीचर और फिक्सचर को शामिल करने वाली सभी अन्य अचल आस्तियाँ इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शायी जानी चाहिए ।
		III. कार्यशील पूँजी कार्य या निर्माणाधीन परिसर	
अन्य आस्तियाँ	11	I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	अंतर-कार्यालय समायोजन शेष, यदि नामे में हो, तो उसे इस शीर्ष में दिखाया जाना चाहिए। अंतर-कार्यालय खातों की केवल निवल स्थिति, देशी और विदेशी, यहाँ दिखायी जानी चाहिए । अंतर-कार्यालय समायोजन खाता का निवल शेष पता करने के लिए सभी संबद्ध अंतर-कार्यालय खातों को मिलाया जाना चाहिए और निवल शेष, यदि नामे में हो, को ही दर्शाया जाना चाहिए, जो अधिकांश मार्गस्थ मदों और असमायोजित मदों का द्योतक होगा ।
		II. उपचित ब्याज	ब्याज उपचित हुआ लेकिन निवेश और अग्रिमों पर देय नहीं है और निवेशों पर ब्याज देय है लेकिन वसूला नहीं गया, इस मद का मुख्य घटक होगा । चूँकि बैंक सामान्यतः तुलनपत्र की तिथि को उधारकर्ता के खाते में देय ब्याज को नामे लिखते हैं, सामान्यतः अग्रिमों पर ब्याज की कोई देय राशि नहीं हो सकती है । केवल वैसा ब्याज जो सामान्य प्रक्रम में वसूला जा सकता हो, इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए ।
		III. कर का अग्रिम भुगतान/ स्रोत पर कर-कटौती	प्रतिभूतियों पर काटे गये स्रोत पर कर की राशि, अग्रिम भुगतान किया गया कर, आदि, उस हद तक जहाँ तक ये मदें संगत कर प्रावधानों के विरुद्ध समायोजित नहीं की जाती हों, इस मद के सामने दर्शायी जानी चाहिए ।
		IV. लेखन सामग्री और मुहरें	लेखन सामग्री पर केवल आपवादिक मदों, जैसे प्रतिभूति कागज, खुले पन्ने या अन्य खाता-बही, आदि की थोक खरीद, जिन्हें अर्ध-आस्ति के रूप में दिखाया जाता है, और जिन्हें दीर्घावधि में बट्टे खाते लिखा जाता है, को यहाँ दिखाया जाना चाहिए ।
		V. अन्य	इसमें गैर-बैंकिंग आस्तियाँ और ऐसी मदें, जैसेकि दावे, जिन्हें पूरा नहीं किया गया है, शामिल होंगी, उदाहरण के लिए समाशोधन मदें, नामे मदें, जो आस्तियों में वृद्धि या देयताओं में कमी के द्योतक हों, जिन्हें तकनीकी कारणों, विवरण के अभाव, आदि के कारण समायोजित नहीं किया गया हो, किसी स्टाफ को बैंक द्वारा नियोजक के रूप में न कि बैंकर के रूप में दिया अग्रिम, आदि । वैसी मदें, जो व्यय के स्वरूप की हैं और जिनका समायोजन होना बाकी है, उनके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए और इस

अनुबंध 2.1
तुलनपत्र मदों के ब्यौरे और लेखा-टिप्पणी *(चालू)*

ख. तुलनपत्र

मद	अनुसूची	व्याप्ति	टिप्पणियाँ और संकलन के लिए अनुदेश
			मद के सामने प्रावधान का निर्धारण किया जाना चाहिए, ताकि इस मद के अंतर्गत केवल वसूलीयोग्य मूल्य दर्शाया जा सके । ब्याज से भिन्न उपचित आय को भी यहाँ शामिल किया जा सकता है ।
आकस्मिक देयताएँ	12	I. बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया जाता है	अंशतः भुगतान किये गये शेयरों, डिबेंचरों, आदि के संबंध में देयता को इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जायेगा ।
		II. अंशतः भुगतान किये गये निवेशों के लिए देयता	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को यहाँ शामिल किया जा सकता है ।
		III. बकाया वायदा विनिमय संविदा के चलते देयता	भारत में और भारत के बाहर घटकों के लिए दी गयी गारंटियाँ अलग दिखायी जा सकती हैं ।
		IV. घटकों की ओर से दी गयी गारंटी क) भारत में ख) भारत के बाहर	इस मद में साख-पत्र और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से स्वीकृत बिल शामिल किया जायेगा ।
		V. स्वीकृत बिल, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	संचयी लाभांशों के बकाये, हामीदारी संविदाओं के अंतर्गत वायदे, पूँजीगत खाते में निष्पादन के शेष बचे और प्रावधान नहीं किये गये संविदाओं की अनुमानित राशि , आदि को यहाँ शामिल किया जाना है ।
		VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है	
वसूली के लिए बिल			बिल और अन्य मदों, जो वसूली के प्रक्रम में हैं और समायोजित नहीं की गयी हैं, को केवल सारांश रूपांतर में इस मद के सामने दर्शाया जायेगा। अलग अनुसूची का प्रस्ताव नहीं है।
बी. लाभ-हानि लेखा			
अर्जित ब्याज	13	I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा II. निवेशों पर आय	सभी प्रकार के ऋणों और अग्रिमों पर, यथा, कैश क्रेडिट, मांग ऋण, ओवरड्राफ्ट, निर्यात ऋण, मीयादी ऋण, देशी और विदेशी बिल खरीदे और भुनाये गये (पुनः भुनाये गये शामिल हैं), अतिदेय ब्याज और ब्याज उपदान भी, यदि हो, जो ऐसे अग्रिमों/बिलों से संबंधित हों, ब्याज और बट्टा शामिल है ।इसमें ब्याज और लाभांश के जरिए निवेश संविभाग से प्राप्त सभी आय शामिल है । रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के पास जमा शेष पर ब्याज, मांग ऋण, मुद्रा बाजार प्लेसमेंट आदि शामिल हैं।

अनुबंध 2.1
तुलनपत्र मदों के ब्यौरे और लेखा-टिप्पणी *(चालू)*

ख. तुलनपत्र

मद	अनुसूची	व्याप्ति	टिप्पणियाँ और संकलन के लिए अनुदेश
		III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेषों पर ब्याज और अन्य अंतर-बैंक निधियाँ	
		IV. अन्य	इसमें कोई अन्य ब्याज/बट्टा आय शामिल होगी, जो उपर्युक्त शीर्षों में शामिल नहीं की गयी है ।
अन्य आय	14	I. कमीशन, विनिमय और दलाली	निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ =निवेशों की बिक्री पर लाभ-निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि
		II. निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ	
		III. निवेशों के पुनर्मूल्यन पर निवल लाभ	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर निवल लाभ = निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ - हानि
		IV. भूमि भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ = भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ - भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि
		V. विनिमय लेनदेनों पर लाभ (हानि को घटाकर)	
		VI. विदेश/भारत में सहयोगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों, आदि के जरिए अर्जित आय	
		VII. विविध आय	
खर्च हुआ ब्याज	15	I. जमाराशियों पर ब्याज	
		II. आरबीआई/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज	
		III. अन्य	
परिचालन व्यय	16	I. कर्मचारियों को भुगतान और कर्मचारियों के लिए प्रावधान	
		II. किराया, कर और बिजली व्यवस्था	
		III. मुद्रण और लेखन सामग्री	
		IV. विज्ञापन और प्रचार	

अनुबंध 2.1
तुलनपत्र मदों के ब्यौरे और लेखा-टिप्पणी *(चालू)*

ख. तुलनपत्र

मद	अनुसूची	व्याप्ति	टिप्पणियाँ और संकलन के लिए अनुदेश
		V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय VII. लेखापरीक्षकों (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) की फीस और व्यय VIII. विधि प्रभार IX. पीबीविधिक और अन्य व्यय, जिसे पीबी खाते के संबंध में नामे लिखा गया X. डाक खर्च, तार, टेलीफोन आदि XI. मरम्मत और रखरखाव XII. बीमा XIII. अन्य व्यय	
प्रावधान और आकस्मिकताएँ		निम्नलिखित के लिए किया गया प्रावधान और आकस्मिकताएँ i) आयकर ii) अन्य कर iii) एनपीए iv) निवेश v) अन्य	
लाभ का विनियोजन		I. सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण II. आरक्षित पूँजी निधि में अंतरण III. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि में अंतरण IV. डिबेंचर शोधन आरक्षित निधि में अंतरण V. अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण VI. प्रस्तावित लाभांश में अंतरण VII. लाभांश पर कर में अंतरण VIII. शेष तुलनपत्र में ले जाया गया	

अनुबंध 2.1
तुलनपत्र मदों के ब्यौरे और लेखा-टिप्पणी *(समाप्त)*

ग. तुलनपत्र

मद	अनुसूची	व्याप्ति	टिप्पणियाँ और संकलन के लिए अनुदेश
एनपीए में उतार-चढ़ाव	17	I) सकल एनपीए II) निवल एनपीए	
संवेदनशील क्षेत्रों को उधार देना	17	I) पूँजी बाजार क्षेत्र को अग्रिम II) संपदा क्षेत्र को अग्रिम III) पण्य क्षेत्र को अग्रिम	
देयताओं और आस्तियों की चुनिंदा मदों की परिपक्वता प्रोफाइल	17	I) जमा II) उधार III) ऋण एवं अग्रिम IV) निवेश V) विदेशी मुद्रा आस्तियाँ और VI) विदेशी मुद्रा देयताएँ	
ऋण, जिनकी पुनर्संरचना की गयी और पुनर्संरचना किया गया कंपनी ऋण	17	I) वर्ष के दौरान मानक आस्तियाँ II) वर्ष के दौरान अवमानक आस्तियाँ III) वर्ष के दौरान संदिग्ध आस्तियाँ	
पूँजी पर्याप्तता अनुपात	17	I) पूँजी पर्याप्तता अनुपात II) पूँजी पर्याप्तता अनुपात - स्तर I और III) पूँजी पर्याप्तता अनुपात - स्तर II	
कारोबार अनुपात	17	I) आस्तियों पर प्रतिलाभ II) कारोबार (जमाराशियाँ + अग्रिम) प्रति कर्मचारी III) लाभ, प्रति कर्मचारी	